



भारत का राजपत्र The Gazette of India.

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 18—जून 24, 2006, शनिवार/ज्येष्ठ 28—आषाढ़ 3, 1928
No. 25] NEW DELHI, JUNE 18—JUNE 24, 2006, SATURDAY/JYAISTHA 28—ASADHA 3, 1928

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप—खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)

शिलांग, 15 मई, 2006

सा.का.नि. 149.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (स्वास्थ्य) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (स्वास्थ्य) वर्ग 'क' पद भर्ती नियम, 2006 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

3. भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता आदि—उक्त पद की भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

4. निरर्हता—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**— जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति**— इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर-प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	
1	2	3	4	5	6	7
सलाहकार (स्वास्थ्य)	01*(2006) *कार्यभार के आधार पर पद की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित गैर- अनुसचिवीय	18,400-500- 22400 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं				क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	
8			9		10	
लागू नहीं			लागू नहीं		लागू नहीं	
भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशत				यदि भर्ती प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा		
11			12			
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)			प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)			
केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो :						

(क) (i) पैतृक संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग या विभाग में रु. 14300-18300 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; या

(iii) पैतृक संवर्ग या विभाग में रु. 12000-16500 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(iv) पैतृक संवर्ग या विभाग में रु. 10000-15200 के वेतनमान वाले पदों या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तेरह वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

अनिवार्य :

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, या तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल की गई मान्यताप्राप्त (लाइसेंसिएट योग्यताओं को छोड़कर) चिकित्सा योग्यताएँ, तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल की गई शैक्षिक योग्यताओं के धारकों को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के खंड 13 के उपखंड (3) में अनुबद्ध शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।

(ii) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की अनुसूची VI में उल्लिखित पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा या समकक्ष।

(iii) चिकित्सा व्यवसाय में 16 वर्षों से कार्यरत जिसमें पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव शामिल हो।

(केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है

जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं

पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[सं. एनईसी/एडीएम/27/2003]

शांतनु मित्र, उप सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION
(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

Shillong, the 15th May, 2006

G.S.R. 149.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, for regulating the method of recruitment to the post of Adviser (Health) in the office of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Health) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and Scale of Pay.—The number posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule, annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit qualifications etc.—The method of recruitment, to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No persons,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6
Adviser (Health)	*1(2006) (*Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 18400-500-22400	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits		Whether age and qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8	9	10		
No applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation

II

12

Deputation (including short term contract).

Deputation (including short term contract).

Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Statutory or Semi Government or Autonomous Organisations:

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) having three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 14300-18300 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) having eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 12000-16500 or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iv) having thirteen years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000-15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Recognised medical qualifications included in the First Schedule or Second Schedule or Part II of the Third schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).

(ii) Post Graduate Degree or Diploma mentioned in Schedule VI of Central Health Service or equivalent;

(iii) 16 years' standing in medical profession including five years' administrative experience.

(Period of deputation or contract including period of deputation or contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years.

The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[No. NEC/ADM/27/2003]

SANTANU MITRA, Dy. Secy.

1774 GI/06-2